351

# मध्यप्रदेश विधान सभा

## जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र

### दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई,1997 (श्रावण 2,1919)

**समय 10.30 बजे दिन**

**1. प्रश्नोत्तर**

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

**2. पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 27 सन् 1972 ) की धारा 10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 636-एक (दो) 65-अड़तालीस-97, दिनांक 9 अप्रैल, 1997 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, संस्कृति मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगी.

**3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण**

(1) श्री गोपीकृष्ण नेमा,श्रीमती सुधा जैन,श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, झाबुआ जिले के ग्राम बामनिया में आंदोलनकारी महिलाओं के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बख्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के अनेक गांवो मे अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

**4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति**

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है".

**5. संविहित संकल्प**

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

"यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6 के साथ सहपठित धारा 9 के अंतर्गत मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में किये गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक -639-एक (दो) 66-अड़तालीस-97, दिनांक 9 अप्रैल, 1997 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 214, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल, 1997 में प्रकाशित किए गए है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण मे अनुमोदन करता है".

**6. प्रतिवेदनों पर चर्चा**

मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उपलोक आयुक्त का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 तथा लोक आयुक्त संगठन का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 व्याख्यात्मक ज्ञापन पर चर्चा .....(क्रमशः)

**7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा**

(1) दिनांक 15 जुलाई, 1997 को गृह मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्रमांक 904) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 15 जुलाई, 1997 को बीस सूत्र कार्यान्वयन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्रमांक 964) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

**के.पी.तिवारी**
**सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

भोपाल :
दिनांक : 23 जुलाई, 1997